

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



हिन्दी अधिकारी
Hindi Officer

ई-मेल : hindicell2015@gmail.com
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: /रा.भा./2024/ति.रि./2113

30 जनवरी, 2024

प्रतिष्ठा में,

डॉ. अर्चना ठाकुर
संयुक्त सचिव
राजभाषा अनुभाग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002।

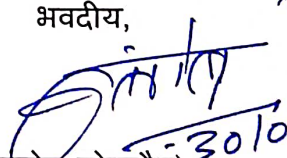
विषय - तिमाही प्रगति रिपोर्ट, अक्टूबर से दिसम्बर, 2023।

महोदया,

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर से दिसम्बर, 2023) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के सूचना प्रबंध प्रणाली पर ऑन लाईन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग के ई-मेल rajbhasha.ugc@gmail.com पर प्रेषित कर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,


(सत्योष सोहगौरा) 30/01/2024
हिन्दी अधिकारी (प्र.)

संलग्न: -

- राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

प्रतिलिपि: -

- संयुक्त सचिव, राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- श्री जग मोहन दुबे, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी सेण्टर, तुलसी विहार कॉलोनी, ग्वालियर - 474 011 (म.प्र.)

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों
आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

दिसम्बर माह को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता : डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, रागर (म.प्र.)

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी. कोड 07582 फोन नं. 297118

ई-मेल : hindicell2015@gmail.com

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	05
(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या	05
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	00

2. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	992
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	557
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	209
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	226

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	384	267	93	24
'क' क्षेत्र से	226	150	60	16
'ख' क्षेत्र से	158	117	33	8

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिन्दी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1374	665	2039	67%
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को	986	450	1436	68%
'ख' क्षेत्र को	385	209	594	64%
'ग' क्षेत्र को	3	6	9	0%

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियाँ

हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 2341

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 633

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 2974

*पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए ।

6. हिन्दी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
1	07	09

नोट : कार्यालय के समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि : निरंक

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि (केंद्रीय प्रधान कार्यालय की)

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिन्दी में जारी किए गए ? हां/नहीं

8. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

- इस तिमाही के दौरान राजभाषा हिन्दी सहित अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किये गये उक्त प्रयासों में 'भारतीय भाषा संवाद' पर केन्द्रित कार्यशाला का आयोजन दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को किया गया। उक्त कार्यशाला में 07 अधिकारी एवं 09 कर्मचारी उपस्थित रहे, अध्यक्षता प्रभारी कुलसचिव महोदय ने की।
- भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री के निर्माण के लिए माननीया कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में विश्वविद्यालयी 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' का गठन किया गया तथा भाषा अभिभावक नियुक्त किये गये। यह 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यपुस्तक निर्माण की दिशा में कार्य करेगा।

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

नीलिमा गुप्ता

प्रो. नीलिमा गुप्ता

कुलपति

कुलपति/Vice-Chancellor

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya

समस्त (म. प्र.)/Sagar (M.P.) 2023

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

(07582) 264796

फैक्स नम्बर :

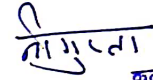
(07582) 264163

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : ..ofmp 1879.....

वित्तीय वर्ष : ..2023-24.....

“मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि संलग्न दिसम्बर को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।”



कुलपति/Vice-Chancellor

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

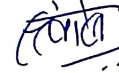
मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम प्रो. नीलिमा गुप्ता

पदनाम कुलपति

कार्यालय का नाम डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

दूरभाष/फैक्स 07582-264796

ई-मेल का पता vc@dhsgsu.edu.in



तिथि :-

स्थान :- सागर (म.प्र.)

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।